10.3.2021 पत्रावली आज दिनांक 10.3.2021 को पेश हुई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी मंजू बंसल के पति नरेश बंसल पुत्र जोधराज जी अग्रवाल, निवासी– सरुपगंज द्वारा दिनांक .09.3.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में दिनांक 09.3.2021 को ही बहस सुनी गई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ आटा (बालाजी ब्राण्ड) का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी मंजू बंसल पत्नी नरेश बंसल, निवासी– झण्डा गली, सरुपगंज, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मंजू इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन, सरुपगंज, जिला– सिरोही पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी मंजू बंसल के पति नरेश बंसल ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि हमारी फर्म मंजु इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन, सरुपगंज से दिनांक 03.11.2020 को जिस आटा (बालाजी ब्राण्ड) का नमूना जांच के लिये लिया था और जो जांच में मिसब्राण्ड पाया गया है। यह कि आटा (बालाजी ब्राण्ड) जांच में सही पाया गया है। अब आटे/कट्टों पर नियमानुसार विवरण अंकित करना शुरु कर दिया है। यह हमारी प्रथम गलती है व भविष्य में इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा। अतः हमारी प्रथम गलती को देखते हुए इस वाद से हमें मुक्त करावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 03.11.2020 को समय 12.15 पी.एम. पर फर्म मंजू इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन, सरुपगंज पर गये। वहां पर मैनेजर एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी जोगाराम

......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:13 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.23/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

मेघवाल पुत्र जेठाराम, जाति– मेघवाल, निवासी– रेल्वे स्टेशन के सामने, सरुपगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के लिये आटा (बालाजी ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ आटा (बालाजी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए मंजू इण्डस्ट्रीज के गोदाम में बिक्री हेतु मौजूद आटा (बालाजी ब्राण्ड) के 45 पैक्ड बैग (प्रत्येक 5 किलोग्राम) में से एक पैक्ड बैग को खोलकर आटा (बालाजी ब्राण्ड) को अच्छी तरह हिला मिलाकर एकरुप किया व इस एक रुप किये हुए आटा (बालाजी ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम आटा (बालाजी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ आटा (बालाजी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1221 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./729/ Act/2020/750 दिनांक 01.12.2020 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 01.12.2020 के अनुसार खाद्य आटा (बालाजी ब्राण्ड) के पैकिंग बैग पर बैच नंबर, निर्माण/पैकिंग तिथि एवं निर्माता का पूरा पता अंकित नही पाया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि फर्म मंजू इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन, सरुपगंज, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर प्रतिवादी जेठाराम मेघवाल द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आटा (बालाजी ब्राण्ड)) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी मंजू बंसल पत्नी श्री नरेश बंसल, निवासी– झण्डा गली, सरुपगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मंजू इण्डस्ट्रीज, रेल्वे स्टेशन, सरुपगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी मंजू बंसल एवं प्रतिवादी [illegible] के पति नरेश बंसल पुत्र जोधराज [illegible] सरुपगंज, जिला– सिरोही को [illegible] किया [illegible] कि आरोपित जुर्माना राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे [illegible] हजार मात्र)

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:13 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] सिरोही–30[illegible]

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.23/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	हमारी प्रथम गलती है व भविष्य में इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा। अतः हमारी प्रथम गलती को देखते हुए इस वाद से हमें मुक्त करावे। प्रकरण में प्रतिवादी मंजू बंसल के पति नरेश बंसल पुत्र जोधराज़ जी अग्रवाल, निवासी– सरुपगंज द्वारा उक्तानुसार लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में दिनांक 09.3.2021 को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी मंजू बंसल के पति नरेश बंसल की बहस सुनी गई। मिसल वास्ते निर्णय आयन्दा दिनांक 10.3.2021 को पेश हो। 9/3/21 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:13 IST
Reason: SelfAttested